प्रेस नोट दिनांक 27.09.2023

(1). आज दिनांक 27.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गये।

(2). आज दिनाँक 27.09.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री बालकिशुन तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त विनय पुत्र कामता प्रसाद निवासी बराछी सुहेल थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 30 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

<u>गिरफ्तारी करने वाले टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री बालकिशुन थाना मऊ
2. आरक्षी नागेश कुमार
3. आरक्षी मनीष यादव

(4). आज दिनाँक 27.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक दिवसीय साइबर अपराधों से बचाव हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में जनपद के समस्त थानों के निरीक्षक, उपनिरीक्षक, कम्पयूटर ऑपरेटर एवं आरक्षीगण सहित कुल 62 अधि0/कर्मचारीगणों ने प्रतिभाग किया । उक्त कार्यशाला में साइबर अपराधों की विवेचना हेतु डिजिटल, फॉरेन्सिंक एवं अन्य साइबर तकनीकी के सम्बन्ध में जानकारी हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल CyTrain के माध्यम से साइबर क्राइम ट्रैनिंग का बेसिक कोर्स कराया गया ।

प्रशिक्षण कार्याशाला में क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्री एसपी. सोनकर, प्रभारी साइबर सेल निरीक्षक श्री विजय सिंह की उपस्थिति में साइबर सेल में नियुक्त आरक्षी प्रशांत कुमार द्वारा सभी को प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

(5). आज दिनांक 27.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे "मिशन शक्ति" एवं ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत चौकी प्रभारी गनीवा श्री राजोल नागर द्वारा कम्पोजिट जूनियर हाई स्कूल गौहानी कलां में छात्र/छात्राओं को SPC (स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट) के तहत पुलिस की कार्यशैली के

सम्बन्ध मे विस्तृत रुप से जानकारी देकर जागरुक किय गया। इस गोष्ठी में स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट के बच्चों को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु महिला व बाल अपराध के बारे में प्रशिक्षित/जागरूक किया गया। शासन द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा शासन के विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों के पम्पलेट्स वितरित किये गए।
स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट को मिशन शक्ति एवं शक्ती दीदी के तहत बताया गया कि उनके साथ हो रहे किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के सम्बन्ध में पुलिस से ''चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो'' जिससे उनके साथ हो रहे उत्पीड़न को रोका जा सके। स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट को गुड-टच, बैड-टच के सम्बन्ध में विस्तृत रुप से जानकारी देते हुये बताया गया कि अक्सर छोटे-छोटे बच्चों को हमारे जानने वाले ही बैड-टच करते हैं और हम समझ नहीं पाते, इसके सम्बन्ध में खुलकर बतायें तथा घर पर अपने छोटे भाई/बहन को भी गुड-टच, बैड-टच के सम्बन्ध में बतायें।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री अंजनी कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी धनेश कुमार मिश्रा तथा मोनीटरिंग सेल प्रभारी श्री जय प्रकाश उपाध्याय द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट द्वारा पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 96/2019 धारा 302/34 भादवि के आरोपी अभियुक्त 1. रुकसाना उर्फ पूजा उर्फ सुनीता पत्नी महबूब अली ड्राईवर 2. महबूब अली डाईवर पुत्र उस्मान अली निवासीगण मण्डी के पीछे कस्बा व थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट 3. आजाद अली पुत्री रियाज अली निवासी शिवपुर थाना पनवार जनपद रीवा म0प्र0 को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का विवरणः-</u>

दिनाँक 18.09.2019 को वादिया श्रीमती फिरदोस बेगम पत्नी अब्दुल वहीद उर्फ छन्नू निवासी मण्डी के पीछे कस्बा व थाना बरगढ़ द्वारा थाना बरगढ़ में सूचना दी गई थी कि रुकसाना उर्फ पूजा उर्फ सुनीता, महबूब अली ड्राईवर व आजाद अली उपरोक्त ने उनके पति अब्दुल वहीद उर्फ छन्नू की चाकू मारकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 96/2019 धारा 302/34 भादवि बनाम रुकसाना उर्फ पूजा उर्फ सुनीता, महबूब अली ड्राईवर व आजाद अली उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन वरि0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा मुकदमें की विवेचना की गई तथा दिनांक 17.11.2019 को अभियुक्तगणों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।